यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ा–पत्र संख्या :–90 / 2022 — दायर दिनांकः 01.06.2022

MS NO:- 2022/166 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बरधा आ0 रूघनाथ जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ। (मृतक)

1/1. बद्रीलाल गुर्जर आ0 स्व0 बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
1/2. जोधाराज आ0 स्व0 बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
1/3. शम्भूलाल गुर्जर आ0 स्व0 बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
1/4. धर्मराज गुर्जर आ0 स्व0 बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
1/5. दुर्गाशंकर आ0 स्व0 बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
1/6. कमला बाई पुत्री स्व. बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा हाल पत्नी हजारीलाल नि0 ठाकूर जी के मन्दिर के पास, भिन्डी जलोदा बून्दी।
1/7. समूदरा बाई पुत्री स्व. बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा हाल पत्नी पन्नालाल नि0 रासहाली तहसील नैनवॉ।
1/8. बसंती बाई पत्नी स्व. बरधा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. धनराज आ0 बद्रीलाल जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
2. प्रभूलाल आ0 बद्रीलाल जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
3. हीरा आ0 केसरा जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
4. नहना आ0 देवलाल जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
5. शोजी आ0 देवलाल जाति गुर्जर नि0 सांगोदा तहसील नैनवॉ।
6. बून्दी चित्तोड क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा, तलवास शाखा प्रबंधक महोदय, तलवास तहसील नैनवॉ।
7. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा तलवास, शाखा प्रबंधक महोदय, तलवास तहसील नैनवॉ।
8. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार गुर्जर।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सांगोदा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 24 के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 1.0193 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी व प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि है परन्तु आपसी सहमति से यह भूमि प्रार्थी के हिस्से मे आयी हुई है। इसी खाते की भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 1.4400 है जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से व कब्जे मे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता ग्राम सांगोदा से उत्तरी पूर्वी आरे स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 7 (जिसका खातेदार आसामी अप्रार्थी संख्या 3 है) के मध्य मे होकर चरण संख्या 3 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3 व 5 (जिसके खातेदार आसामी अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है) की दक्षिणी मेर के सहारे सहारे व चरण संख्या 4 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 161 (जिसका खातेदार आसामी देवा आ0 बरधा था) की दक्षिणी मेर के सहारे होकर प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 162 मे पहुंचता है जो करीब 10 फीट चौडा है। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है। परिशिष्ट अ मे दर्शाये गए रास्ते से ही प्रार्थीगण अपने कृषि उपकरणों को लाता ले जाता है।

M

यह कि अप्रार्थीगण के मन मे बदनियति आ जाने से दिनांक 13.04.2022 से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 मे वर्णित प्रार्थी के रास्ते मे बाधा डाल रहे है व लोहे के तारों की बाड लगाकर तारबंदी कर रखी है तथा तारों मे करंट छोड रखा है जिससे हाथ लगाते ही करंट लगता है जिससे जानवरों व प्रार्थीगण को जान का खतरा बना हुआ है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के एवज मे आने वाली भूमि के लिए प्रतिकर राशि भी जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

आज दिनांक 31.07.2025 को हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 162 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ